

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ०प्र०  
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ  
सामान्य वर्ग

H

क/७७५९एम०टी०/सामान्य वर्ग/५४एम०-४९/०१

दिनांक २/८/२०१४

कार्यालय-ज्ञाप

श्री ओम नारायण त्रिपाठी पुत्र श्री राम संजीवन त्रिपाठी, निवासी-तालगंज (लीलावती स्कूल के सामने) प्रतापगढ़ का मार्ग श्रेणी 'ए' में पंजीकरण इस कार्यालय के पत्रांक-६४९१एम०टी०/५४एम०-४९/०१ दि०-२०.९.२००५ द्वारा दि०-३०.६.२००८ तक के लिये किया गया था, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल लखनऊ के पत्रांक-६६५७/ग्र०आ०वि०/२०१२-१३ दि०-२६.१२.२०१२ द्वारा अगवत कराया गया है कि पी०एम०जी०एस०वाई० योजना के अन्तर्गत जनपद-रायबरेली के पैकेज सं०-यू०पी०-५८२५ में श्री ओम नारायण त्रिपाठी द्वारा इलाहाबाद बैंक, प्रतापगढ़ की बैंक गारन्टी सं०-६५/०७ दि०-२५.६.२००७ रु० ३८.०० लाख की प्रस्तुत की गयी। कालान्तर में मुख्य प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक प्रतापगढ़ ने अपने पत्रांक-३३२ दि०-२३.५.२००८ द्वारा अगवत कराया गया कि उक्त बैंक गारन्टी उनकी शाखा से निर्गत नहीं की गयी है। इस प्रकार श्री ओम नारायण त्रिपाठी द्वारा फर्जी बैंक गारन्टी प्रस्तुत की गयी, जिस हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्र०आ०वि०, पी०आई०यू०-२-पी०एम०जी०एस०वाई० रायबरेली द्वारा श्री ओम नारायण त्रिपाठी के विरुद्ध थाना कोतवाली रायबरेली में दि०-१३.७.२०१२ को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी।

पी०आई०यू०-२-पी०एम०जी०एस०वाई०, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, रायबरेली में श्री ओम नारायण त्रिपाठी, प्रतापगढ़ द्वारा पैकेज सं०-यू०पी०-५८२५, यू०पी०-५८२७ एवं यू०पी०-५८३३ के निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु क्रमशः अनुबंध सं०-२३/एस०ई० दि०-१६.५.२००७, अनुबंध सं०-३८/एस०ई० दि०-१६.९.२००७ एवं अनुबंध सं०-३४/एस०ई० दि०-१७.७.२००७ गठित किये गये थे। श्री ओम नारायण त्रिपाठी, प्रतापगढ़ द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कार्यों को पूर्ण न कराने के फलस्वरूप अधीक्षण अभियन्ता, ग्राम विकास अभियंत्रण विभाग परिमण्डल लखनऊ द्वारा उक्त अनुबंधों का निरस्तीकरण पत्रांक-१०१५५ दि०-०६.२.२००९, पत्रांक-२८९१ दि०-०३.७.२००८ एवं पत्रांक-३१८९ दि०-११.७.२००८ द्वारा किया गया। उक्त अनुबंधों के निरस्तीकरण के फलस्वरूप एस०पी०डी० की शर्तों के क्रम में पुनः अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग परिमण्डल लखनऊ द्वारा क्रमशः ९४५९ दि०-२१.२.२०१२, पत्रांक-९५०३ दि०-२३.२.२०१२ एवं पत्रांक-९५०४ दि०-२३.२.२०१२ द्वारा रु० २१४७२६३१.०० का अर्धदण्ड लगाया गया।

उक्त अर्धदण्ड श्री ओम नारायण त्रिपाठी, प्रतापगढ़ द्वारा जमा न किये जाने के कारण जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के पत्र सं०-२२१३/सी०आर०ए०/संग्रह दि०-२८.४.२०१२ एवं पत्र सं०-मेमो/सी०आर०ए०/संग्रह दि०-२६.५.२०१२ द्वारा उक्त धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति करने के आदेश निर्गत किये गये।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री ओम नारायण त्रिपाठी, प्रतापगढ़ द्वारा अनुबंधों में लगायी गयी बैंक गारन्टी मुख्य प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक प्रतापगढ़ से निर्गत नहीं है। इस प्रकार श्री ओम नारायण त्रिपाठी, प्रतापगढ़ द्वारा फर्जी बैंक गारन्टी प्रस्तुत की गयी।

इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक-२८२५एम०टी०/सामान्य वर्ग/४०एम०टी०-४९/०१ दि०-०१.४.२०१३ द्वारा श्री ओम

त्रिपाठी प्रतापगढ़ से उनका स्पष्टीकरण 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।  
कम में इस कार्यालय के पत्रांक-8106एम0टी0/सामान्य धर्म/54एम0-49/01 दि0-05.8.2013 द्वारा टेकेदार से प्राप्त उत्तर  
दि0-19.4.2013 एवं दि0-20.6.2013 पर मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सर्वोदय नगर, लखनऊ की सुस्पष्ट  
आख्या/संस्तुति मांगी गयी थी।

मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सर्वोदयनगर, लखनऊ के पत्रांक-39/ग्रा0अ0वि0/  
संगणक-पत्रांक-5825/2013-14 दि0-03.4.2014 द्वारा श्री ओम नारायण त्रिपाठी, प्रतापगढ़ के पत्र दि0-20.6.2013 एवं  
दि0-19.4.2013 में बर्णित तथ्यों का संज्ञान लेते हुए ब्लैकलिस्ट किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त करायी गयी सुस्पष्ट आख्या/संस्तुति  
के कम में श्री ओम नारायण त्रिपाठी पुत्र श्री राम संजीवन त्रिपाठी, निवासी-लालगंज (लीलावती स्कूल के सामने) प्रतापगढ़ को  
ब्लैकलिस्ट किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल से प्रभावी होगा।

o/c

myc  
20/8/14  
(महेश सिंह-I)

मुख्य अभियन्ता (मु0-2)  
लो0नि0वि0 लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/ (ग्रामीण सड़क)/परि0नियो0 लो0नि0वि0 लखनऊ।
2. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियन्ता, विश्वबैंक, रा0मार्ग,  
पी0एम0जी0एस0वाई0, डास्प/सोडिक लो0नि0वि0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति अपने  
स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त अधीक्षण/अधिसारी अभियन्ताओं एवं कार्य अधीक्षकों को उपलब्ध करा दें।
3. मुख्य अभियन्ता, (पूर्वी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, घोसी पुरवा, सर्वोदयनगर, इन्दिरानगर, लखनऊ को उनके पत्र  
दि0-03.4.2014 के कम में।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड लखनऊ।
5. प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।
6. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. निदेशक/मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ।
8. मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, चतुर्थ एवं पंचम तल, गन्ना विकास संस्थान, न्यू वेरी  
रोड, लखनऊ।
9. श्री ओम नारायण त्रिपाठी पुत्र श्री राम संजीवन त्रिपाठी, निवासी-लालगंज (लीलावती स्कूल के सामने) प्रतापगढ़ को  
सूचनार्थ प्रेषित।
10. प्रतिलिपि पत्रावली स0-54एम0-49/01 में रखने हेतु

20/8

वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर (सां0)

लो0नि0वि0 लखनऊ

o/c